पत्रांक–5/श्रम स्था0 (2)33/2011–

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग।

प्रेषक,

सतीश कुमार शाही,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवा निवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना को 300 (तीन सौ) दिनों की अव्यवहृत उपार्जित छुट्टी के बदले समतुल्य नगद राशि भुगतान करने की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवा निवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1113 दिनांक–24.01.2014 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान् ₹ 6500–10500/– में दिनांक 09.8.1999 से प्रथम वृत्ति उन्नयन, कार्यालय आदेश ज्ञापांक–2462 दिनांक–20.02.2014 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान् ₹ 10000–15200/– में दिनांक – 17.3.2000 से द्वितीय वृत्ति उन्नयन तथा कार्यालय आदेश ज्ञापांक–2463 दिनांक–20.02.2014 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान् वेतन बैंड ₹ 15600–39100/– ग्रेड वेतन ₹ 7600/– में दिनांक–01.01.2009 से तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश सं0–123–सह–पठित ज्ञापांक–2863 दिनांक–22.9.2014 द्वारा संशोधित वेतन निर्धारित किया गया जिसके अनुसार इनकी सेवा निवृत्ति की तिथि 30.4.2011 को इनका मूल वेतन ₹ 34620/– है।

2. सेवा निवृत्ति की तिथि को मूल वेतन ₹ 34620/– के आधार पर श्री सिन्हा, सेवा निवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी को तत्समय 51 प्रतिशत महंगाई भत्ता की दर से कुल 300 (तीन सौ) दिनों की अव्यवहृत उपार्जित छुट्टी के समतुल्य नगद राशि की गणना निम्न प्रकार है :–

मूल वेतन	महंगाई भत्ता (51 प्रतिशत की दर से)	मूल वेतन (10 माह)	महंगाई भत्ता (10 माह)	कुल भुगतेय राशि
रु0 34620/–	रु0 17656/–	रु0 346200/–	रु0 176560/–	रु0 522760/–
पूर्व में स्वीकृत राशि :–				रु0 410870/–
शुद्ध भुगतेय राशि :–				रु0 111890/–

आवास किराया मद में बकाया राशि (वसूल करने योग्य)	आवास किराया मद में बकाया राशि में सामंजित	नगद भुगतान	कुल राशि
रु0 403961/–	रु0 111881/–	रु0 09/–	रु0 111890/–

3. श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवा निवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी को 300 (तीन सौ) दिनों की अव्यवहृत उपार्जित छुट्‌टी के समतुल्य नगद राशि का सामंजन एवं नगद भुगतान करने की स्वीकृति उपर्युक्त तालिका के अनुसार वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1829 वि0 (2) दिनांक 07.4.2005 के आलोक में प्रदान की जाती है।

4. स्वीकृत राशि रु0 111890/– में से रु0 09/– (नौ रुपये) मात्र की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायगी एवं शेष राशि रु0 111881/– (एक लाख ग्यारह हजार आठ सौ एकासी रुपये) मात्र का सामंजन श्री सिन्हा के जिम्मे आवास किराया मद में बकाया राशि ₹ 403961/– से कर लिया जायगा।

5. इस राशि की निकासी व्यय शीर्ष ''2071–पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्त हितलाभ–01–सिविल–115–छुट्‌टी नगदीकरण हितलाभ, मांग सं0–15, विपत्र कोड–एन–2071011150002'' से वित्तीय वर्ष 2017–18 में की जायगी।

6. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(सतीश कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–5/श्रम स्था0 (2) 33/2011– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–5/श्रम स्था0 (2) 33/2011– 2884 पटना, दिनांक–31/10/2017

प्रतिलिपि अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, सरकार पक्ष (दो प्रतियों में अनुलग्नक सहित)/श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवा निवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, द्वारा – श्री बीरेन्द्र झा, आवास सं0–59, न्यू पंजाबी कॉलोनी, गुरूद्वारा के निकट, पो0–अनीसाबाद, पटना–2 एवं आई0 टी0 प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.10.17
सरकार के अवर सचिव।